न्यायालय – वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश लाडनूं

मेड़ता न्यायक्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	–	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. प्रकरण संख्या	–	69/2022
दीवानी मूल प्रकरण संख्या	–	69/2022
सीएनआर नंबर	–	RJMR1C0001292022

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
उमाराम थालोड़ वगैरह	बनाम	नानूराम वगैरह

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(घ) सिविल प्रक्रिया संहिता</u>

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री इंद्रचंद घोटिया, वास्ते वादीगण
2. अधिवक्ता श्री विकास ठोलिया, वास्ते प्रतिवादीगण

<u>आदेश</u> **दिनांक: 04.10.2023**

01– इस आदेश द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(घ) सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 02.11.2022 का निस्तारण किया जा रहा है।

02– प्रतिवादीगण ने उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्य रूप से कथन किया है कि वादीगण का वाद राजस्व भूमि में से रास्ते को लेकर सुखाचार है। इस कारण राजस्व भूमि के संबंध में होने वाले समस्त वादों की सुनवाई हेतु अलग से राजस्व न्यायायल नगरपालिका व सरकार के द्वारा गठित किये गये हैं इस कारण उपरोक्त वादपत्र को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं होने के कारण वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने उपरोक्त वाद रास्ते के सुखाचार को लेकर प्रस्तुत किया है, जबकि रास्ते के संबंध में समस्त वादों की सुनवाई हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में उपबंधित किया है। वादीगण ने उपरोक्त वादपत्र राजस्व भूमि के रास्ते के सुखाचार को लेकर वादपत्र प्रस्तुत किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 256 व 207 से के उपबंधों के अनुसार प्रथमदुष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने उपरोक्त वादपत्र में पक्षकारों का कुसंयोजन किया है क्योंकि किसी भी प्रकार की राजस्व भूमि की प्रथम मालिक लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार के जरिये तहसीलदार लाडनूं है तथा उपरोक्त राजस्व भूमि के संबंध में एक आवश्यक पक्षकार है लेकिन तहसीलदार, लाडनूं के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत

करने से पूर्व तहसीलदार लाडनूं को दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है इस कारण वादीगण ने उपरोक्त वादपत्र में तहसीलदार लाडनूं को राजस्व भूमि के संबंध में होने वाले समस्त वादों का आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी पक्षकार नहीं बनाया है, इस कारण वादीगण ने उपरोक्त वादपत्र में पक्षकारों का कुसंयोजन किया है। वादीगण का उपरोक्त वादपत्र पेश करने का किसी भी प्रकार का कोई भी वादकारण उत्पन्न हीं नहीं हुआ है इसके कारण वादकारण के अभाव में उपरोक्त वादपत्र खारिज योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन करते हुए वाद पत्र नामंजूर करने की प्रार्थना की।

03– दूसरी ओर अधिवक्ता वादीगण ने उपरोक्त तर्कों से असहमत होते हुए खंडन में पृथक से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि मामला सदीन काल से चले आ रहे रास्ते के उपयोग व उपभोग व सुखाचार से संबंधित है, न कि राजस्व भूमियों के बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी से संबंधित है। उक्त वाद केवल मात्र रास्ते से संबंधित सुखाचार का है तथा वादीगण/ अप्रार्थीगण को सिविल राईट के तहत उक्त वादपत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण सदीन काल से चले आ रहे पुराने कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग सदीन काल से करते आ रहे हैं, जो वादीगण/ अप्रार्थीगण का सिविल राईट है। उक्त सिविल राइट/ सुखाचार का वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। माननीय राजस्व न्यायालय को रास्ता घोषित करने, दुरूस्त करने आदि का अधिकार है, जबकि वादीगण/ अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार का रास्ते की घोषणा की रिलीफ नहीं चाही है। वादीगण/ अप्रार्थीगण केवल मात्र अपने सिविल राईट के तहत सदीन काल से उपयोग उपभोग करने वाले रास्ते में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा न डाले, इस आशय का वाद न्यायालय में पेश किया है, जिसको सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार न्यायालय को है इसलिए वादीगण/ अप्रार्थीगण ने वाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है। उक्त वाद किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। वादीगण ने वादपत्र में पक्षकारों का कुसंयोजन किया है, जबकि सही तथ्य यह है कि वादीगण/ अप्रार्थीगण ने राजस्व भूमि से संबंधित किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही है। वादीगण/ अप्रार्थीगण ने केवलमात्र सदीन काल से चले आ रहे रास्ते में प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करे। इस प्रकार केवल अपने सिविल अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुखाचार के तहत उक्त वाद पेश किया है, जिसमें लेण्ड होल्डर से किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही है। उक्त वाद केवलमात्र रास्ते से संबंधित सुखाचार से संबंधित है इसलिए लैण्ड हॉल्डर को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 10.10.2022 को उक्त रास्ता को बंद करने की एलानियां धमकियां देने से वादीगण को वाद हेतुक उत्पन्न होकर आज दिन तक लगातार जारी होने का कथन अंकित है। प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने उक्त वाद में देरी करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अंत में वादीगण ने प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने की प्रार्थना की।

04– बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष ने प्रतिवादी पक्ष के तर्कों से असहमत होते

हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

05– उभय पक्षों के तर्को–वितर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (आगे संहिता से उल्लेखित) के तहत पेश किया गया जो निम्नानुसार हैः–

वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर किया जाएगा–

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) .....

(ग) .....

(घ) जहाँ वाद पत्र में के कथन से यह यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

.....

इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्र अभिमत में कोई वाद पत्र तब नामंजूर किया जाएगा जब उसमें वर्णित अभिवचन आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की परिधि में आते हो।

06– माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिकदृष्टांत सलीम भाई व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य 2003(1) SCC 557 में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

> "the relevant facts which need to be looked into for deciding an application thereunder are the averments in the plaint. The trial court can exercise the power at any stage of the suit before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Order VII Rule 11 of the Code, the averments in the plaints are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at the stage.''

इस प्रकार उक्त न्यायिकदृष्टांत से यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को सिर्फ वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन करना होता है।

07– विधि के सुस्थापित सिद्धांत के आधार पर वादपत्र का अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद के जरिये वादी का मुख्य रूप से कथन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वादगत खेतों में आवागमन व पशुओं को लाने ले जाने हेतु वर्षों पुराना कदीमी रास्ता नागौर सालासर एनएच हाईवे सड़क से उत्तर की ओर फंटकर प्रतिवादीगण के खेत खसरा नं 1299/320 में से होकर वादीगण के खेतों की ओर जाता है, जो पिछले करीब 50–60 वर्षों से चला आ रहा है। दिनांक 06.10.2022 को वादीगण अपने खेतों मे जाने के लिए उक्त खेतों से जा रहे थे। जब प्रतिवादीगण के खेत खसरा नं

1299/320 में पहुंचे तो प्रतिवादीगण ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया, जिस पर वादीगण व अन्य ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी लाडनूं को शिकायत की, जिस पर तहसीलदार लाडनूं के आदेश क्रमांक भू.अ./2022/2196 की अनुपालना में हल्का पटवारी ने ग्राम हुडास के खसरा नं 320 व वर्तमान खसरा नं 1299/320 रकबा 1.687 में से गुजर रहे कदीमी रास्ते को बंद करने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच कर उपस्थित मौतबीरान ने बताया कि उक्त रास्ता 1964 से नजरी नक्शा बिंदु में वर्णित बिंदु ए से बी गुजर रहा है, जिस पर मौके पर रास्ता खुलवाया गया, परंतु प्रतिवादीगण पुनः रास्ता अवरूद्ध करने की धमकियां दे रहे हैं, जबकि वादीगण को उक्त रास्ते का उपयोग करने का सुखाधिकार है। अंत में हस्तगत वाद के जरिये यह अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मौजा सरहद हुडास के खसरा नं 1299/320 में मार्क ए से बी सदीन काल से चल रहे रास्ते पर किसी प्रकार अवरोध न तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे तथा रास्ता सदैव के लिए आवागमन हेतु चालू रखा जाए और यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त रास्ते को अवरूद्ध कर देते है तो उक्त रास्ते को खुलवाया जाए।

08– हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि वादीगण ने वाद रास्ते के सुखाचार को लेकर किया है, जबकि रास्ते के संबंध में सुनवाई हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में उपबंधित किया है, इस कारण सिविल न्यायालय को हस्तगत वाद के सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता नहीं है, जिसका वादी ने पुरजोर खंडन किया और तर्क दिया कि सुखाचार के मामलों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय में निहित है। इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्र अभिमत में वादपत्र को आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की कसौटी पर परखने के लिए कृषि भूमि से संबंधित उक्त अधिनियम के कुछ विधिक प्रावधानों का उल्लेख करना यह न्यायालय समीचीन पाता है–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में इस संबंध में निम्न उपबंध किये गये हैः–

धारा 207. केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही विचारणीय वाद तथा प्रार्थना पत्र–(1) तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार के समस्त वाद तथा प्रार्थना पत्रों की सुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(2) राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या प्रार्थना पत्र की अथवा किसी वाद के उक्त कारण जिसके संबंध में उक्त किसी वाद या प्रार्थना पत्र द्वारा कोई सहायता प्राप्त की जा सकती हो, पर आधारित किसी वाद प्रार्थना पत्र की सुनवाई नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण–यदि वाद का कारण ऐसा हो, जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती थी तो यह महत्वहीन है कि सिविल न्यायालय से मांगी गई सहायता उस सहायता से अधिक या तद्तिरिक्त है अथवा तद्रूप नहीं है जो राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकती थी।

धारा 251. रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार के लिए अधिकारः–(1) उस दशा में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो, अपने उक्त उपभोग में बिना उसकी सहमति के, विधि विहित प्रणाली से भिन्न तरीके से, बाधित किया जाए, तहसीलदार उक्तरूपेण बाधित भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जांच करने के पश्चात बाधा को हटाये जाने की अथवा बंद किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने की आज्ञा, कर सकेगा, चाहे उक्तरूपेण पुनः उपयोग किये जाने के विरूद्ध तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाए।

(2) इस धारा के अंतर्गत पारित कोई आज्ञा किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार या सुखाचार को स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगी, जिसके लिए वह सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित रीति से वाद प्रस्तुत करके दावा कर सकता हो।

धारा 256. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जनः–(1) इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके द्वारा विशेष रूप से अन्यथा उपबंधित दशा के अतिरिक्त इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित नियमों से पैदा होने वाले किसी भी मामले, जिसके प्रतिकर स्वरूप उसमे वाद, प्रार्थना पत्र, अपील या अन्य रूप में उपबंधित की हुई है, के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) ऊपर बताये गये अनुसार के अतिरिक्त, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार द्वारा या किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश पर किसी सिविल न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी।

इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि सुखाचार के अधिकार के लिए सिविल न्यायालय एक सक्षम न्यायालय है। इसके अतिरिक्त रामसिंह बिश्नाई व अन्य बनाम साहबराम बिश्नोई डीएनजे 2018(2)(राज.) 481 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः–

"Civil Procedure Code, 1908-0. 7, R. 11-Contention that suit was barred by law since the suit was triable by the Revenue Court only Suit for permanent injunction based easementary right- on Preliminary issue was framed and decided against the petitioner defendant and application also rejected-Suit is maintainable before the Civil Court-Right of easement,can only be granted by the Civil Court-Held, Trial Court has not committed any error in rejecting the application.**"**

इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिकदृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया है कि सुखाधिकार के लिए सिविल न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी पक्ष का उपरोक्त तर्क पोषणीय नहीं है कि हस्तगत वाद विधि द्वारा वर्जित है।

09– आगे प्रतिवादी पक्ष का मुख्य रूप से तर्क है कि वादी ने तहसीलदार लाडनूं को पक्षकार नहीं बनाया है, जो आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के असंयोजन के कारण भी वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है, जिसका वादी ने पुरजोर खंडन किया। इस न्यायालय के विनम्र अभिमत में पक्षकार के असंयोजन व कुसंयोजन के आधार पर कोई दावा विधि द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता। पक्षकारों के असंयोजन कुसंयोजन का क्या प्रभाव होगा, यह प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवाब दावा में इस बाबत आक्षेप उठाने पर पृथक से विवाद्यक विरचित कर भी तय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने कई न्यायिकदृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया कि पक्षकारों के असंयोजन कुसंयोजन के आधार पर वादपत्र विधि द्वारा वर्जित नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के असंयोजन व कुसंयोजन के आधार पर इस स्तर पर वादपत्र नामंजूर नहीं किया जा सकता।

10– आगे प्रतिवादी ने यह तर्क किया कि वादी को वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ, इस बाबत वादपत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादपत्र के पद सं 7 में वादी ने वादकारण दिनांक 10.10.2022 को उत्पन्न होना बताया है ऐसी स्थिति में इस आधार पर वादपत्र नामंजूर नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर वादपत्र के अवलोकन से आदेश 7 नियम 11(घ) सिविल

प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आकर्षित नहीं होने से प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(घ) सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 02.11.2022 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

11– परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(घ) सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 02.11.2022 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(डॉ. विमल व्यास)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
लाडनूं

12– आदेश आज दिनांक 04.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. विमल व्यास)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
लाडनूं